

* ई-मेल

स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बुडको।

पटना, दिनांक-

विषय:- मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु चयनित पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी जिला क्षेत्रान्तर्गत नगर परिषद, रक्सौल में योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि ₹393.35300 लाख (तीन करोड़ तिरानबे लाख पैंतीस हजार तीन सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

विभागीय संकल्प संख्या-4945, दिनांक-20.07.2024 द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत जल निकासी सहित चौड़ी, सुदृढ़, गुणवत्ता युक्त सड़कों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार तथा पार्कों, घाटों, जलाशयों इत्यादि का निर्माण कराया जाना है।

2. उक्त के क्रम में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2862, दिनांक-11.09.2024 द्वारा मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु जिला पदाधिकारी को ₹1.00 करोड़ तक तथा प्रमंडलीय आयुक्त को ₹1.00 करोड़ से उपर तथा ₹2.50 करोड़ रुपये तक की योजनाओं के प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रशासनिक स्वीकृति की शक्ति का प्रत्यायोजन किया गया है। ₹2.50 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति विभाग स्तर से प्रदान की जानी है।

3. उक्त के आलोक में जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा उक्त योजना अंतर्गत उनके नगर निकाय से संबंधित ₹2.50 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु चयनित योजनाओं के स्वीकृति का प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराते हुये प्रशासनिक स्वीकृति का अनुरोध किया गया है।

4. उक्त वर्णित स्थिति के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित योजना के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित तकनीकी अनुमोदन की राशि ₹393.35300 लाख (तीन करोड़ तिरानबे लाख पैंतीस हजार तीन सौ रु०) मात्र का मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना अंतर्गत प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है:-

क्र०स०	जिला का नाम	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन की राशि
1	2	3	4	5
1.	पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	नगर परिषद, रक्सौल	कौड़िहार चौक से चन्देल मार्केट होते हुए सरिसवा नदी तक आर०सी०सी० नाला का निर्माण कार्य।	₹393.35300
कुल				₹393.35300

5. उक्त योजना का कार्यान्वयन बुडको द्वारा ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा प्रकाशित कर किया जायेगा।
6. योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय पत्रांक-2872, दिनांक-12.09.2024 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका-सह-विवरणिका के आलोक में कराया जायेगा।
7. उक्त योजनाओं का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु सभी नगर निकायों के निमित्त कर्णांकित कुल ₹500.00 करोड़ मात्र में से संबंधित नगर निकायों के जनसंख्या के आधार पर कर्णांकित राशि के तीन गुणी राशि तक के अंतर्गत ही कराया जायेगा।
8. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में समय-समय पर निर्गत विभागीय निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-04/मु०स०-17-19/2025 10348 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-20/09/24

प्रतिलिपि:— प्रमंडलीय आयुक्त, संबंधित प्रमंडल/प्रबंध निदेशक, बुडको/जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/कार्यपालक पदाधिकारी, परिषद्, रक्सौल/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित कोषागार के कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 04 एवं 06 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।